

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सालय शिक्षा विभाग

एफ.क्रमांक 18-1/2009/2/पचपन
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16-4-2010

- [1] श्री प्रशांत मेहता,
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।
- [2] डॉ. राजन कटोच,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग, भोपाल।
- [3] श्रीमती अलका उपाध्याय,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।

विषय:- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत ।
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 17 दिसंबर 2009

=====

उपरोक्त संदर्भित आदेश जिसके द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर कराये गये उपचार संबंधी प्रस्तावों का निराकरण करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया था एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के उपचार संबंधी प्रकरणों का निराकरण पूर्वत चिकित्सा शिक्षा की गठित कार्योत्तर समिति द्वारा ही किया जावेगा ।

एल सुहेल अली

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक

पु.ले.क्रं. 18-1/2009/2/पचपन

- प्रतिलिपि:- [1] पुलिस महानिर्देशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
[2] प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुडा भवन, भोपाल
[3] संचालक चिकित्सा शिक्षा, म.प्र भोपाल
की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग